

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:-105/2019/अपील

लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी झीठला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल निवासी 156, पंचवटी नगर, सोनारी जिला सिंहभूम जमशेदपुर (झारखण्ड)

अपीलान्त

बनाम

- 1 विमला पत्नी गोपाल
- 2 पूजा पुत्री गोपाल
- 3 बिन्दू पुत्र गोपाल

समस्त निवासीगण प्रसारी बर्फसेल, गौशाला रोड़, नजदीक पप्पू कोल्ड स्टोरेज मारवाड़ी मोहल्ला, बेगसराय जिला बेगूसराय (बिहार)

4 तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

5 कजोड़ मल मीणा, पटवारी, पटवार हल्का, लादीकाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.05.2019 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मीदेवी मु0न0 01/2019 नामांतरण सं. 33 ग्राम झीठला द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांत श्री अमरसिंह सुण्डा

निर्णय

दिनांक:-28.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झीठला पटवार हल्का लादीकाबास भू0अ0नि0 क्षेत्र रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 330, 331, 332, 333, 339 कुल किता 5 कुल रकबा 4.45 हैक्टर भूमि अवस्थित है। इन भूमियों में स्व0 कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा था। स्व0 कन्हैयालाल के 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि का नामान्तरण सम्पूर्ण विधिक जांच कर शपथ पत्र के आधार पर विरासत से नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 16.04.2019 को अपीलान्त के नाम से भरा जाकर अमल दरामद हो गया और जमाबन्दी संवत् 2075-78 में नाम अंकित हो गया। स्व0 कन्हैयालाल की विधिवत् वारिस उनकी पुत्री(अपीलान्त) के नाम बाद जांच नामान्तरण संख्या 32 भरा गया और इस नामान्तरण से उक्त खसरा नम्बरान में अपीलान्त का नाम जमाबंदी में आया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भूमि खसरा नम्बर 330, 331, 332, 333, 339 कुल किता 5 कुल रकबा 4.45 हैक्टर भूमि का नामान्तरण संख्या 32 का पुनरावलोकन कर दिनांक 10.05.2019 की आज्ञा से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम से उक्त खसरा में 1/8 हिस्से में चुनौतिग्रस्त नामान्तरण संख्या 33 भरा जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 18.06.2019 को स्वीकृत कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरण भरकर जमाबंदी में अंकन कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नीमकाथाना ने बिना किसी आधार व दस्तावेजों व तथ्यों के यह आज्ञा पारित कर चुनौतिग्रस्त आज्ञा व नामान्तरण भरा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.

2019 को नामान्तरण संख्या 32 भरा गया था। यह नामान्तरण बाद जांच विरासत के आधार पर भरा गया था और नामान्तरण संख्या 32 को बिना निरस्त किये यह चुनौतिग्रस्त नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरुद्ध कानून भरा जाकर सख्त कानूनी भूल की है। स्व० कन्हैयालाल के वारिसान में उसके दो बेटे थे और एक बेटी अपीलान्त थी, दोनों बेटों की अविवाहित ही मौत हो चुकी थी। स्व० गोपाल शर्मा यहां से पश्चिमी बंगाल जाकर बस गया और उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार स्व० कन्हैयालाल की एकमात्र वारिस उसकी पुत्री लक्ष्मी देवी (अपीलान्त) ही रही और यह तथ्य जब नामान्तरण संख्या 32 भरा गया तब गांव वालों से व अपीलान्त से शपथ पत्र आदि सभी दस्तावेजों की जांच कर विरासत का नामान्तरण सही व सत्य भरा गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों को ताक में रखकर बिना किसी ठोस आधार के चुनौतिग्रस्त नामान्तरण भरकर सख्त कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्णविलोकन का कोई आवेदन रेस्पोजेन्ट की ओर से नहीं दिया गया केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पूर्णविलोकन किया गया और रेस्पोजेन्ट से कोई दस्तावेज नहीं लिये गये और अपीलान्त को कोई नोटिस की तामील करवाये बिना, सुने बिना जल्दबाजी में यह चुनौतिग्रस्त आज्ञा पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 32 भरा गया और इसी नामान्तरण संख्या 32 के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 330, 331, 332, 333, 339 कुल किता 5 कुल रकबा 4.45 हैक्टर में 1/4 हिस्सा का अमल बरामद जमाबंदी में अपीलान्त के नाम दर्ज हो गया जिसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आयी तथा ना ही नामान्तरण संख्या 32 को चुनौति देकर कोई अपील की गयी, सिर्फ पटवारी हल्का द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्णविलोकन करके नया नामान्तरण संख्या 33 भर दिया गया। नामान्तरण संख्या 33 भरने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलान्त को कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी ना कोई संबंधित ग्राम में सार्वजनिक नोटिस चस्पा किया गया। इन तथ्यों की सर्वथा कानूनी भूल की है, इस कारण चुनौतिग्रस्त आदेश व नामान्तरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 व नामान्तरण संख्या 33 निरस्त कर पूर्व का नामान्तरण संख्या 32 वैध घोषित करने की आज्ञा पारित करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलान्त की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 16.04.2019 के सम्बंध में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 02.05.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बंधित पक्षकार लक्ष्मीदेवी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी लक्ष्मीदेवी को जारी नोटिस पर हल्का पटवारी ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि सम्बंधित को दूरभाष द्वारा सूचित किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2019 को पारित निर्णय में अंकित किया है कि "सम्बंधित पक्षकार अनुपस्थित रहे। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। बहस पटवारी सुनी गई एवं पत्रावली पर मौजूद रिकॉर्ड का अवलोकन मनन किया गया। रिपोर्ट पटवारी सही मानते हुये नामान्तरण संख्या 32 का पुनरावलोकन किया जाकर कन्हैयालाल पुत्र जवारा जाति ब्राहमण हिस्सा 1/4 के स्थान पर लक्ष्मीदेवी पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/8, बिमला देवी पत्नी गोपाले बन्टू शर्मा, पुजा शर्मा पि. गोपाल शर्मा हिस्सा 1/8 स्वीकृत किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का को तहरीर जारी हों। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया।



A

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण संख्या 32 के सम्बंध में पुनरावलोकन प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर विधिवत रूप से तामिल रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना ही दिनांक 10.05.2019 को एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व किसी स्वतंत्र गवाह के बयान आदि नहीं लिये केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। संशोधित/पुनरावलोकन आदेश पारित किये जाने के सम्बंध में किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। संशोधित/पुनरावलोकन आदेश जिस नामान्तकरण संख्या 32 के विरुद्ध पारित किया है उक्त नामान्तकरण का अवलोकन करने पर नामान्तकरण संख्या 32 पर मृतक खातेदार के वारिसान के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट अंकित नहीं है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 16.04.2019 एवं उसके उपरांत संशोधित/पुनरावलोकन आदेश दिनांक 10.05.2019 के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण संख्या 33 दिनांक 18.06.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) के तहत दर्ज किया जाकर सम्बंधित खातेदारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर विधिवत रूप से तामिल उपरांत पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)
28/1/20
अति० जिला कलेक्टर, सीकर
अति० जिला कलेक्टर, सीकर